BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 05 सितम्बर 2023 **थाना ककोड**

लूट की घटना का झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि इमरान पुत्र युसुफ खां निवासी अगवाल थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 04-09-2023 को डायल-112 पर सूचना दी गयी कि वह अपने घर गांव अगवाल से निशान गांडी नं0- DL 3CCT 6329 से 14.5 लाख रुपये लेकर गांव वैर में कुछ लोगो को देने के लिए जा रहा था। जब थाना ककोड क्षेत्रान्तर्गत निठारी बम्बे के पास पहुचां तो 04-05 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाडी पर फायर कर दिया जिससे वह डर कर जंगल की तरफ भाग गया तथा बदमाश उसकी गाडी से 14.5 लाख रुपये लेकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना ककोड पर मुअसं-212/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत हैं।

उक्त घटना के क्रम में थाना ककोड पुलिस व स्वाट टीम द्वारा जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही में पाया गया की मुकदमा वादी द्वारा लूट की झूठी सूचना दी गयी थी। मुकदमा वादी द्वारा बताया कि वह प्रॉपर्टी का काम करता हैं उसके द्वारा कुछ समय पुर्व प्रॉपर्टी ली गयी थी जिसमें उसके पैसे फस गये है तथा उस पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया हैं। इसी कारण पूर्व में परिवार सहित आत्महत्या की योजना बना चुका है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका । कल दिनांक 04-09-2023 को भी स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या करने के लिए आया था । फिर परिवार का ख्याल आने पर आत्महत्या नही की तथा लूट की फर्जी घटना को अंजाम दिया । थाना ककोड पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा घटनास्थल के पास ईख के खेत से बरामद कर लिया गया हैं।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- इमरान पुत्र युसुफ खां निवासी अगवाल थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड मय पुलिस टीम

स्वाट टीम-

1. मौ0 असलम प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम मय स्वाट टीम ।

मीडिया सेल बुलंदशहर